



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 507 राँची, मंगलवार,

29 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

23 जुलाई, 2020

आदेश सं०-5/आरोप-1-155/2018 का०- 3521-- श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-220/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2111, दिनांक 28.05.2018 द्वारा गिरिडीह जिले में विधायक मद / सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद से सोलर स्ट्रीट लाईट/व्यक्तिगत सोलर लाईट के क्रम में हुई अनियमितता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6944, दिनांक 10.09.2018 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री मिश्र के पत्रांक-01, दिनांक 04.12.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मिश्र के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1387, दिनांक 14.02.2019 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक- 919/वि०, दिनांक 31.10.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री मिश्र द्वारा निविदा प्रक्रिया का अनुपालन तो किया गया है, परन्तु आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक से अधिक सोलर लाईट का

क्रय पूर्व निर्धारित दर पर किया गया है। चूँकि श्री मिश्र दिनांक 31.01.2012 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं विभागीय पत्रांक-3786, दिनांक-24.04.2012 द्वारा उन्हें पेंशन की स्वीकृति दी गई है, इसलिये झारखण्ड पेंशन नियमावली के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई कालबाधित प्रतीत होती है।

अतः, समीक्षोपरांत श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-220/03,) तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के विरुद्ध इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
